



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी संख्या - 3089 वर्ष 2026

भगवती देवी

याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

अतिरिक्त आयुक्त न्यायिक प्रथम झांसी एवं 4 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

:

संतोष कुमार

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता

:

सीएससी, दीपक गौर

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् उप-जिला मजिस्ट्रेट, जालौन, जिला जालौन द्वारा दिनांक 25.09.2023 को पारित आदेश और प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात् अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक) प्रथम, झांसी मंडल, झांसी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 207 के तहत अपील संख्या 1342/2023 (भगवती देवी बनाम विनोद कुमार और अन्य) में दिनांक 17.10.2025 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है।
2. प्रतिवादियों के अधिवक्ता द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 17.10.2025 को पारित आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता को यूपी राजस्व संहिता, 2006 की धारा 208 के तहत दूसरी अपील दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया है।
4. उपरोक्त के मद्देनजर, वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

26 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"